

पत्रावली आज पेश हुयी।  
अभ्यपक्ष वकील उपस्थित।  
अभ्यपक्षकारान की वहेस सुनी  
गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध  
सत्री दस्तावेजों का अवलोकन किया  
गया।

वहेस पर मनन एवं अवलोकन  
उपरांत यह स्पष्ट है कि वारिसान  
द्वारा अपने पिता एवं अन्य के  
विरुद्ध यह शर्चना-पत्र प्रस्तुत किया  
गया है। जब तक मूल दावा फैसल  
नहीं हो जाता तब तक यह भी  
प्रमाणित नहीं होता कि संपत्ति  
स्वामिनी है अथवा पैतृक क्योंकि



खता सं- 36 (कुल खसरे- 15.56  
रकबा- 8.56 है) एवं खता सं 37  
(कुल खसरे- 7, कुल रकबा- 2.52 है)

वाके ग्राम - झाडीदा तहसील - चौध  
का बरवाडा श्री राजान रिकॉर्ड की  
यथास्थिति बनाये (खना न्यायवित्त  
प्रतीत होता है)

अतः न्यायवित्त में प्रार्थी का  
प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार  
किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को  
खता संख्या 36, 37 वाके ग्राम झाडीदा  
तहसील - चौध का बरवाडा में ताफैसला  
मूल वाद राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति  
बनाये रखने के लिए पाबंद किया  
जाता है। पालनार्थ तहसीलदार  
चौध का बरवाडा को तहरीर जारी  
है। पत्रावली फ़ैमल की जाका  
नम्बर से कम करते हुये हाथिल  
दफ़्तल की जाती है।



Wp.

उप जिला कलेक्टर  
चौध का बरवाडा